संख्या- 59/2021 /873/सैंतीस-2-2021-1(21)/12

प्रेषक ,

विनोद कुमार द्विवेदी ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में ,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार) पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग2- लखनऊ :: दिनांक- 13 मई, 2021

विषयः- अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) अन्तर्गत् वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग के पत्र संख्या- 13/सा0-1/एक्स-120(187)/जि0यो0/2021-22 , दिनांक 13.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्य-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0 520.763 (रू0 पांच करोड़ बीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

मानक मद	प्राविधानित धनराशि (लाख में)	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि (लाख में)
01-वेतन	1513.00	423.700
03-मंहगाई भत्ता	435.90	84.628
6-अन्य भत्ते	20.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	60.00	12.435
योग-	**2046.90**	**520.763**

(रू0 पांच करोड़ बीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ रूपये मात्र)

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय।
3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
4- किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इसका व्यय नई मदों/कार्यों में न किया जाय।
5- प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
6- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग एतदविषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्य-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-दस/375-1-बी/2021/3-2021/231-2021, दिनांक- 22.03.2021 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

पृ0सं0- 59/2021 /873/सैंतीस-2-2021-1(21)/12 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

UP SHASANADESH.COM

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 59 /2021/813/37-2-2021-1(21)/12, दिनांक 13 मई, 2021 का संलग्नक:
पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) वर्ष 2021-22 **धनराशि लाख में**

क्र0सं0	मानक मदवार प्रस्तावित धनराशि (रू0. लाख में)				
	जनपद का नाम	01–वेतन	03–महंगाई भत्ता	55–मकान किराया भत्ता	योग
1	बरेली	9.700	1.650	0.290	11.640
2	चन्दौली	3.936	0.669	0.050	4.655
3	बलरामपुर	6.851	1.165	0.000	8.016
4	फतेहपुर	5.620	0.955	0.168	6.743
5	हमीरपुर	2.380	0.405	0.084	2.869
6	फर्रूखाबाद	35.500	9.950	1.100	46.550
7	गाजीपुर	23.000	4.000	0.750	27.750
8	औरैया	8.300	2.000	0.275	10.575
9	मऊ	3.108	0.528	0.126	3.762
10	अमेठी	2.600	0.442	0.084	3.126
11	प्रयागराज	2.600	0.442	0.075	3.117
12	रायबरेली	11.250	3.400	0.000	14.650
13	चित्रकूट	2.620	0.446	0.084	3.150
14	एटा	48.450	8.240	1.520	58.210
15	हाथरस	23.500	3.995	0.670	28.165
16	वाराणसी	3.016	0.513	0.084	3.613
17	बुलन्दशहर	7.800	1.326	0.252	9.378
18	महोबा	13.580	2.400	0.420	16.400
19	मैनपुरी	28.000	6.000	1.000	35.000
20	बलिया	6.387	1.100	0.173	7.660
21	फिरोजाबाद	5.124	0.871	0.000	5.995
22	सोनभद्र	14.104	2.398	0.455	16.957
23	कासगंज	10.876	1.849	0.336	13.061
24	बस्ती	2.600	0.500	0.000	3.100
25	गौतमबुद्धनगर	3.350	0.804	0.000	4.154
26	गोरखपुर	1.300	0.211	0.021	1.532
27	संतकबीरनगर	3.077	0.830	0.000	3.907
28	सुल्तानपुर	38.100	11.000	0.900	50.000
29	उन्नाव	13.640	2.319	0.437	16.396

UPSHASANADESH.COM

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

30	अलीगढ़	16.060	2.800	1.100	19.960
31	इटावा	3.332	0.566	0.101	3.999
32	हरदोई	17.407	2.877	0.720	21.004
33	जौनपुर	2.928	0.498	0.084	3.510
34	मथुरा	2.844	0.483	0.084	3.411
35	मेरठ	3.500	0.650	0.300	4.450
36	लखनऊ	3.334	0.570	0.101	4.005
37	बिजनौर	2.600	0.442	0.084	3.126
38	कानपुर देहात	10.280	1.748	0.304	12.332
39	अमरोहा	4.396	0.747	0.119	5.262
40	संतरविदासनगर	7.050	1.197	0.000	8.247
41	मिर्जापुर	7.000	1.200	0.000	8.200
42	मुजफ्फरनगर	2.600	0.442	0.084	3.126
		423.700	**84.628**	**12.435**	**520.763**

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन

UP SHASANADESH.COM

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।